

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक, 16 मई, 2017

सा0का0नि0 (अ) - भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मई, 2017, जिसे सा0का0नि0 455 (अ) दिनांक 11 मई, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था,-

(i) पृष्ठ 2 के 17 और 18 वी पंक्ति में, "कॉलम (8) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दृष्टि से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।" के स्थान पर "उस दर से जो कि कॉलम (8) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि निर्दिष्ट राशि और विषयगत वस्तु के लैंडिंग मूल्य के बीच होने वाले अंतर के समतुल्य होगी, प्रतिपाटन शुल्क लगायेगी, बशर्ते कि लैंडिंग मूल्य कॉलम(8) में निर्दिष्ट राशि से कम हो ।" को पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 13 के 31 वी पंक्ति में, "स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए," के स्थान पर "स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, आयात के लैंडिंग मूल्य से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारण मूल्य से है और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत धारा 3, 3क, 8ख, 9 और धारा 9क के अंतर्गत लगने वाले उद्ग्रहण को छोड़कर सभी सीमा शुल्क ड्यूटियां शामिल हैं; और" को पढ़ें ।

(फा0 सं0 354/119/2016)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार